न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :– रामसिंह राजावत (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र सख्या 28 / 2016	रजू दिनांक 15.06.2016	निर्णय दिनांक 24.02.2021

1. जयकिशन पुत्र सुरजभान जाति जाट निवासी शहज़ादपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

—: प्रार्थी

बनाम

1. शुभराम पुत्र रामजीलाल
2. जलेसिंह पुत्र रामजीलाल — फौत

2/1 निर्मला पुत्री जलेसिंह पत्नी नामालूम जाति जाट निवासी शहजादपुर हाल निवासी प्राणपुरा तहसील बावल जिला रेवाडी हरि0।

2/2 सावत्री पत्नी स्व0 श्री जलेसिंह जाति जाट निवासी शहजादपुर तहसील मुण्डावर।

3. अमरसिंह पुत्र रामजीलाल
4. सुरेश पुत्र रामजीलाल
5. छंगाराम पुत्र रामजीलाल
6. रामप्रसाद पुत्र रामजीलाल जातियान जाट निवासी शहजादपुर तहसील मुण्डावर
7. फूलीदेवी पुत्री रामजीलाल
8. बंतोदेवी पुत्री रामजीलाल
9. शीलादेवी पत्नी स्व0 श्री रामजीलाल जातियान जाट निवासीयान शहजादपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0
10. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: असल अप्रार्थीगण

11. आनन्द पुत्र सुरजभान जाति जाट निवासी शजहादपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: फौरमल पक्षकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

—:निर्णय:—

दिनांक :— 24.02.2021

1. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रहा कि :—

1. यह है कि वाके ग्राम शहजादपुर तहसील मुण्डावर मे आराजी खसरा नम्बर 298 रकबा 1.72 है0 मिन प्रार्थी वो तर0 अप्रार्थी की खातेदारी की आराजी स्थित है। जो आराजी मिन प्रार्थी के हिस्से बहामी बंटवारा में आयी है।
2. यह है कि उक्त आराजी हाल खसरा नम्बर 298 रकबा 1.72 है0 के तरफ पूर्व मे खसरा नम्बर 348 रकबा 0.29 है0 स्थित है तथा उक्त खसरा नम्बर 348 के साथ लगता हुआ उत्तर से दक्षिण की और एक आम रास्ता खसरा नम्बर 325 स्थित है, तथा मिन प्रार्थी के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी में आने जाने के लिये कोई रिर्कोडेड रास्ता नही है तथा रास्ता नही होने के कारण मिन प्रार्थी को अपनी आराजी में ट्रैक्टर व अन्य कृषि उपकरण आदी लाने ले जाने में परेशानी हो रही है।
3. यह है कि मिन प्रार्थी का अपनी कब्जेकाश्त एवं खाते[illegible] की [illegible] खसरा नम्बर 298 में अप्रार्थीगण के पिता के नाम द[illegible] उत्तरी डोल के साथ आवागमन करता है, लेकिन फसल[illegible] अप्रार्थीगण ज[illegible] मिन प्रार्थी का रास्ता बन्द कर देते है, जिससे मिन अप्रार्थी [illegible] काश्त करने में बाधा पैदा हो जाती है। जिस पर हर [illegible] से झगडा फिसाद भी होता रहता है। इसलिए आम रास्ता खसरा नम्बर 325 से खसरा नम्बर 348 के उत्तर डोल के साथ मिन प्रार्थी की कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 298 तक रास्ता करीब 15 फुट चौडा नया रास्ता कायम किया जावे, मिन प्रार्थी नियमानुसार राशि अदा करने या अपनी आराजी में से आराजी देने को तैयार है या अदालत श्रीमान के आदेश की पालना करने को तैयार है।
4. यह है कि मिन प्रार्थी को अपनी आराजी तक काश्त कार्य हेतु पहुचने वा वापिस आने में बडी रूकावट वो मुसीबत होती है, तथा अप्रार्थीगण मिन प्रार्थी को आराजी में से आवागमन नही करने देते है तथा अब दिनांक 13.05.2016 को अप्रार्थीगण ने मिन प्रार्थी के रास्ता को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.30 10:05:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

बन्द कर दिया है तथा ऐलानिया तौर धमकी दी है कि हम तुम्हे आवागमन नही करने देगे। बस यही प्रार्थना पत्र हेतु बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा होकर प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी आया है।

5. यह है कि मिन प्रार्थी के पास अपनी आराजी में आवागमन का कोई रिर्कोडेड रास्ता न होने के कारण, उक्त आराजी खसरा नम्बर 348 में से नया रास्ता कायम किया जावे, ताकी प्रार्थी अपनी आराजी में सुविधाजनक तरीके से आवागमन कर सके तथा अपनी आराजी का उपयोग उपभोग व काश्त कर सके। जिसके लिये मौजूदा प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष चाहा कि –

यह है कि प्रार्थना पत्र मिन प्रार्थी स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 348 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम शहजादपुर तहसील मुण्डावर में मिन प्रार्थी के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की खसर नम्बर 298 रकबा 1.70 है0 में कृषि कार्य हेतु पहुचने के लिये, आम रास्ता से 15 फुट चौडा नया रास्ता तरफ उत्तर की डोल के साथ कायम कर, रास्ता घोषित किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज पंजिका कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। सभी अप्रार्थीगण की तामील सम्यक रूप से हुई। अप्रार्थी सं0 01 लगा0 4 व 6 की ओर से अधिवक्ता श्री मदनलाल सावरिया उपस्थित हुए। अप्रार्थीगण की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसका सार रहा कि वर्णीत आराजी अकेले प्रार्थी के नाम नही है। इसमें अन्य सहखातेदारान की भूमि है, जिन सहखातेदारान को मुकदमा पक्षकार नही बनाया गया है आराजी खसरा नम्बर 325 रकबा 0.48 है0 राजेन्द्र सिंह, सरजीत सिंह, करतारसिंह, वीरसिंह, हरिसिंह, सत्यपाल, हेमराज वगै0 की आराजी है जिसमें जाने के लिये खसरा नम्बर 340, 341 मे से रास्ता बनाया हुआ है जो खसरा नम्बर 325 तक जाता है प्रार्थी का यह कहना कि खसरा नम्बर 325 आम रास्ता है। आराजी खसरा नम्बर 298 के जितने भी हिस्सेदार है, वो सभी खसरा नम्बर 340, 341 के उत्तरी डोल से स्थित करीब 15 फुट चौडा रास्ता है, से आवागमन करते है तथा दुसरी तरफ खसरा नम्बर 298 की पश्चिमी तरफ सारे खसरा नम्बर प्रार्थी व उसके परिवार के लगते हुये है, जिन्होने भी अपनी आराजी में मकानात बना रखे है, जिनका रास्ता दुसरी साईड से आम रास्ता से आते जाते है। जब प्रार्थी व उसके हिस्सेदार की स्वंय की आराजी से रास्ता लेने का कोई हक व अधिकार नही है, जब इनके परिवार के लोग खसा नम्बर 325 में मकानात बनाकर रह रहे है, वो भी अपनी आराजी में आते जाते है, उनसे लगता हुआ खसरा नम्बर 298 है से ये लोग भी इसी रास्ता से आवागमन कर सकते है, रास्ता लेवे तो अपने सहखातेदार से ले। अप्रार्थीगण की जायद रही की प्रार्थी अदालत श्रीमान में शुद्वहस्त होकर नही आया है प्रार्थी ने मिथ्या तथ्यो व मनंघडत कहानी के आधार पर दावा अदालत श्रीमान के समक्ष पेश किया है। मिन अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 348 के साथ लगात हुआ खसरा नम्बर 298 है, जो प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान का है तथा प्रार्थी ने सहखातेदारान को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाया है इसलिए प्रार्थना पत्र सक्षम पक्षकार के अभाव में चलने योग्य नही होकर काबिल खारीज है। आम रास्ता खसरा नम्बर 342 के साथ खसरा नम्बर 341, 340, 325 लगये हुये है तथा खसरा नम्बर 340, 341 में से मौके पर करीब 15 फुट चौडा रास्ता चालू है, जो आराजी खसरा नम्बर 325 तक जाता है तथा आराजी खसरा नम्बर 340, 341, 325 प्रार्थी के परिवार क सदयों की रही है, जिसमें से प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार क लोग आवागमन करते आ रहे है। इसलिए प्रार्थी किसी भी प्रकार से मिन अप्रार्थीगण की आराजी में से रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र काबिल खारीज है। उक्त प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी स0 2 की जद में पक्षकार प्रार्थना पत्र के पेश होने से पूर्व ही फौत हो चुका था, जिसके वारिसान को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाया है। इसलिए प्रार्थना [illegible] किया जा[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.30 10:05:42 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार से रिपोर्ट ली गई, रिपोर्ट के [illegible] जाने के लिए कोई रिकार्डेड रास्ता नही है, आराजी खसरा [illegible]326 किस्म गैर [illegible]स्ता से खसरा नम्बर 340 व 341 की उत्तरी डोल से एक रास्ता [illegible] जाता है जो खसरा नम्बर 340 व 341 के सहखातेद[illegible] हाल रिकार्ड दर्ज नही है। वादी अपने खसरा नम्बर 298/1.72 वाके ग्राम शहजादपुर [illegible] जाने के लिए खसरा नम्बर 348 की उतरी डोल से लगाता हुआ 15 फुट चौडा रास्ता स्वयं के खसरा नम्बर 348 तक चाहता है। वादी नियमानुसार अपनी आराजी मे से आराजी या उचित राशी देने के लिए तैयार है। तहसीलदार मुण्डावर की रिपोर्ट पर प्रार्थना पत्र में सुनवाई हेतु रखा गया।

1. प्रार्थी की ओर से साक्ष्य में दस्तावेज नकल जमाबंदी सम्वत् 2070–73, नक्शा ट्रेस पेश किये गये।
2. अप्रार्थीगण की ओर से कोई साक्ष्य, सबूत पेश नही किये गये।
3. तहसीलदार, मुण्डावर से मौका रिपोर्ट ली गई।
4. बहस वकूलाय सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है :-

ग्राम शहजादपुर का खसरा नम्बर 298 प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है। प्रार्थी खसरा नम्बर 298 में आने-जाने के लिए ख0नं0 348 में से 15 फुट चौड़ा रास्ता चाह रहा है। खसरा नम्बर 348 में प्रार्थी स्वयं खातेदार नही है। ख0नं0 298 में पहुचने के लिए प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा कोई विकल्प नहीं है। खसरा नम्बर 298 के चारो तरफ कोई कटानी सार्वजनिक रास्ता नहीं लगता है। ख0नं0 खसरा नम्बर 298 में आने-जाने के लिए एक मात्र रास्ता ख0नं0 348 में से ही उपलब्ध है।

समस्त तथ्यों के अवलोकन पर पाया गया कि प्रार्थी के खसरा नम्बर 298 में आने जाने के लिए खसर नम्बर 348 की उत्तरी डोल के साथ साथ 15 फुट चौडा रास्ता ही एकमात्र न्यूनतम दूरी का, व्यवहारिक व सुविधाजनक रास्ता हो सकता है।

मौके पर प्रार्थी के खेत हेतु साधन आने-जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थी को अपने खेत तक आने-जाने, फसल की जुताई-बुवाई-कटाई, उपज के विपणन हेतु चौपहया वाहन के आवागमन की आत्यान्तिक आवश्यकता रहती है। खसरा नम्बर 298 प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। जिसमें आने जाने के लिए खसरा नम्बर 348 की उत्तर डोल से होकर कदीम से आता जाता है। रास्ता कटानी नहीं होने से प्रार्थी को नाजायज परेशान कर रहे है। प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थी खसरा नम्बर 298 की बारानी 2 किस्म है।

न्यायालय का यह सम्यक समाधान है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मात्र जोत के सुविधापूर्ण उपयोग-उपभोग (Not mere convenient enjoyment of holding) के लिये नहीं है बल्कि प्रार्थी की रास्ते की आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता (Absolute Necessity) का मामला है। यह भी कि आवेदक ने अपने खेत में आने जाने एवं फसल उपज को लाने ले जाने के लिये वैकल्पिक साधन/रास्ता की अनुपलब्धता (Absence of alternative means of access) को भी साबित किया है। न्यायालय आवेदक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

-:: आदेश ::-

न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हैं। अतः वाके ग्राम शहजादपुर, तहसील मुण्डावर स्थित भूमि खसरा नम्बर 348 मे से उत्तरी डोल के साथ साथ में भूमि लम्बाई के समानुपाति चौड़ाई में 15 फीट, प्रार्थी को प्रचलित सार्वजनिक रास्ते से अपनी खातेदारी भूमि ख. नं. 298 के कोने तक आने जाने के लिए रास्ते के रूप में दिए जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार मुण्डावर को आदेशित किया जाता है कि उक्त रास्ते में अप्रार्थीगण कि आयी भूमि की डी.एल.सी दर से दो गुणी राशि प्रार्थी से जमा करवाए जावे। उक्तानुसार डी एल सी दर से गणना कराये जाने उपरान्त प्रार्थी जमा कराये जाने योग्य राशि जमा कोष कराये जाने पर ही उक्त रास्ते में आई खातेदार काश्तकारो को भूमि के अनुपात के अनुसार वितरण कर रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में "गैर मुमकिन रास्ता" के रूप मे दर्ज की जावे। रास्ते को नजरी नक्शा (परिशिष्ठ A) में ए से बी तक दिखाया गया है। परिशिष्ट-ए निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। अनावेदक को सदैव के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाता है कि प्रार्थी को उपलब्ध करवाए गए उक्त रास्ते के उपयोग, उपभोग मे किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे, न करावे। इस हेतु तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो कि वे उपरोक्तानुसार राशि जमा कोष कराये जाने उपरांत ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद व तरमीम करे। रास्ता के सीमाज्ञान कायम कर कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द किया जाकर रास्ता सुचारू रूप से चालू कराया जावे। उक्त रास्ता समस्त प्रकार के ऋण, भार, प्रभार से मुक्त होगा। इस हेतु तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.30 10:05:42 IST
Reason: SelfAttested

24/2/21
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

24/2/21
(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०